न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 149 / 2018

अपीलार्थी
श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र
निवासी–ग्राम व पोस्ट–कारोडा,
तहसील–बहरोड, जिला–अलवर (राज0)

बनाम

प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 30.07.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 16.08.18

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 21.06.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विविध 06 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा की गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा नियत समय गुजरने के बाद भी प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांक: 26.07.18 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांक: लोक सूचना / 2018 / 658--59 दिनांक: 08.08.2018 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 21.06.2018 पर पत्रांक: लोक सूचना / 2018 / 577 दिनांक: 09.07.2018 के माध्यम से अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में ही बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
8. अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ। इससे यह माना जा सकता है कि वह प्राप्त सूचना से संतुष्ट है।
9. उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज कर निस्तारित की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

(ओ. पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)